جون ۲۰۱۱ء

ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَ کِتَابٌ مُبِیْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب





نورہدایت فاؤنڈیشن، حسینیہ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ۔۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2011-13 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

SHUA-E-AMAL
Lucknow

शुआ-ए-अमल
हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

June 2011





NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION
Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

बिस्मेही तआला

वर्ष 7 — अंक 12

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की

इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

जून–2011

शुआ-ए-अमल

"लखनऊ"

न्यास संस्थापन

15 जमादिलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

पर्यवेक्षकः

मु० र० आबिद, गोलागंज लखनऊ

संरक्षक

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै. **कल्बे जवाद** नक़वी साहब

सम्पादक: सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

उप-सम्पादक: क़ायम महदी नक़वी 'तज़हीब' नगरौरी

सलाहकार समिति

- प्रोफ़ेसर अल्लामा अली मुहम्मद नक़वी, अलीगढ़
- डॉ० महदी ख़्वाजा पीरी, ईरान
- सै० हसन अब्बास नक़वी, मुम्बई
- मौलाना हसन ज़फ़र नक़वी, कराची
- प्रोफ़ेसर हुसैन कमालुद्दीन अकबर, इलाहाबाद
- शायरे अहलेबैत रज़ा सिरसिवी, सिरसी
- जनाब सै० समीउल हसन वसीम, दिल्ली
- मुहम्मद आलिम साहब, हुसैनाबाद लखनऊ
- मौलाना हैदर अली, शाम

मिलने का पता

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ - 3

Phone No: 0522-2252230 — 0522-4062731 Mobile No: 09335276180 — 09335996808

सै. कल्बे जवाद नक़वी प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपराइटर ने मासिक शुआ-ए-अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफसेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ-3 से प्रकाशित किया। सम्पादक : सै० मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़ जाएसी'।

Per copy 20/-

Annual 200/-



R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526



Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10



WEBSITE:
www.noorehidayatfoundation.com
www.al-ijtihaad.com



E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

वार्षिक अंशदान

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर
2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर
3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर
4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-

विषय सूची

जून 2011ई०

जमादिस्सानी 1432हि० रजबुल मुरज्जब 1432हि०

क़िस्त-3

उसूले दीन

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह

नुबुवत

नुबुवत अर्थात् अल्लाह की ओर से विश्व को सच्च मार्ग बताने के लिए ऐसे मनुष्य नियुक्ति किये जाते रहे हैं जिन्हें नबी कहते हैं।

तौहीद एवं न्याय की सामूहिक माँग

तौहीद (अल्लाह की इकाई) एवं अद्‌ल (न्याय) के पश्चात् नुबुवत का स्थान है। नुबुवत इन्हीं दोनों (अद्‌ल और तौहीद) की सच्चाईयों पर आधारित है जिनको पहले दो मज़ामीन में सिद्ध किया जा चुका है। यदि विश्व केवल द्रव्य के अणुओं से बना हुआ होता, यदि उसका स्वामी (जन्मदाता) नियमिता और चैतन्यता से रहित होता, यदि वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में असफ़ल होता अथवा विश्व को सत्ता में लाकर अल्लाह ने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया होता तो इन दशाओं में वह विश्व की अच्छाईयों व बुराईयों से कोई सम्बन्ध न रखता और फिर यदि मनुष्य अपने कर्मों में विवश होता और जन्मदाता (अल्लाह) स्वयं अपनी इच्छानुसार जो चाहता वही उससे करा लेता तो उन समस्त दशाओं में नुबुवत का कोई प्रश्न ही न उठता, परन्तु ''तौहीद'' में यह सिद्ध हो चुका है कि इस विश्व का एक ऐसा जन्मदाता है जो ज्ञानी, अपने कर्म में निपुण और सर्वसमर्थ है। उसने विश्व को जन्म देकर उससे अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ लिया है वरन् उसका पालनकर्ता और दीक्षा देने वाला है।

मनुष्य के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु अपने उद्‌देश्य तक अल्लाह की इच्छा से पहुँचती है। इसके लिए मध्य में किसी संवाद-वाहक या दूत की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य भी अपने जीवन की प्राकृतिक गति में जन्म, बचपन, वृद्धावस्था और मृत्यु के द्वारों को उसी प्रशासन के अधिपत्य में तय करता है। अब उसके दृष्टिकोण, कार्य करने के ढंग तथा जीवन कर्म जो कि उसकी मनुष्यता के चिन्ह हैं ये भी अगर विवश होकर अल्लाह के अधिपत्य में पूरे किये जाते तो नबी की कोई आवश्यकता नहीं थी, अल्लाह जिस मार्ग पर चाहता उस पर अपनी माया से स्वयम् ही चला देता। परन्तु यह 'अद्‌ल' (न्याय) में सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य अपने कर्मों और क्रियाओं का सर्वेसर्वा बनाया गया है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने विचारों और अधिकारों को लिये हुए उचित मार्ग पर चले और अनुचित मार्ग पर जाने की बात भी कभी न सोचे। नहीं तो अल्लाह की पालनहारता इसके उचित कौशल की सीमा तक पहुँचने की उत्तरदायी है। आवश्यक है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि मनुष्य के सम्मुख उचित और अनुचित रास्ते स्वयम् ही उपस्थित हो जाएं। इस तरह कि उस पर कोई विवशता प्रभावित न हो वरन् वह अपने विचारों से स्वयम् उचित मार्ग पर चले तो अल्लाह की आज्ञापालन करने वाला माना जाए और अनुचित मार्ग पर चले तो अल्लाह की आज्ञा की अवहेलना करने वाला समझा जाए।

इस प्रकार इसकी मनुष्यता की श्रेष्ठता अपनी चरित्र और व्यवहारों से उन्नति और निपुणता की अन्तिम सीमा तक स्वयम् पहुँचे जो इसकी मानुषिक महानता की माँग है। यही जीवन के उद्‌देश्य जो मनुष्य को निपुणता की सीमा तक पहुँचाने के लिए जन्मदाता की

ओर से उपस्थित किया जाता है 'शरीअत' कहलाता है। और वह महान् पुरुष जो इस शरीअत पर प्रयोग कराने और मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए नियुक्त होता है नबी कहलाता है। उपदेश देने तथा अपने विचारों को प्रकट करने वाले के स्थान पर नियुक्त किये जाने को बेसत कहते हैं। अल्लाह अपनी आज्ञाओं को जिस प्रकार उस नबी तक पहुँचाए उस ढंग को 'वह्य' (अशुद्ध उच्चारण, वही) कहते हैं।

अभ्रान्तता

अल्लाह की ओर से विश्व की मानव जाति को उपदेश देने के लिए जो व्यक्ति निर्धारित किया जाए वह ऐसा ही हो सकता है जिससे भूले भटके किसी तरह भी विश्व के मनुष्यों को सच्चाई के मार्ग से भटक जाने का संदेह न हो, जो अल्लाह की जानकारी में इस प्रकार का कुशल मनुष्य हो, उसको अभ्रान्त (मासूम) कहते हैं।

उत्तमता

नबी मनुष्य को निपुणता की अन्तिम सीमा तक पहुँचाने के लिए आता है, अतः उसे अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त मनुष्यों की निपुणता में बढ़कर होना चहिए जिससे अन्य लोगों को उसके पीछे चलने की आज्ञा देना अन्याय न समझा जाए।

प्रत्येक जाति का पथ प्रदर्शक

अल्लाह की पालनहारता सिमित नहीं है इस लिए उसके पथ-प्रदर्शक से किसी देश और जाति को वंचित नहीं रक्खा जा सकता। वास्तव में उसने प्रत्येक देश और जाति के लिए किसी न किसी को पथ-प्रदर्शक अवश्य ही बनाया, यह दूसरी बात है कि कुछ जातियों और देशों के सम्बन्ध में ठीक ज्ञान न हो कि उनका सच्चा पथ-प्रदर्शक अल्लाह की ओर से किन व्यक्तियों के सम्बन्ध में था, अथवा उस जाति ने उसके उपदेशों से कोई लाभ उठाया हो या अब वह उससे दूर जा पड़ी है और जो शिक्षा उसके नाम पर दी जाती है वह उसकी वास्तविक शिक्षा न हो वरन उसका परिवर्तित रूप हो कर रह गई हो।

पिछले नबी

प्राचीन काल में पैग़म्बरों के नाम जिनके नामों की प्रमाणिकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, निम्नलिखित हैं।

आदम, इद्रीस, नूह, इब्राहीम, लूत, इस्माईल, इस्हाक़, याकूब, यूसुफ़, ख़िज़्र, मूसा, हारून, शुऐब, अय्यूब, हूद, सालेह, यूनुस, दाऊद, सुलैमान, जुलकिफ़्ल, ज़करिया, यह्या और ईसा।

इनकी नुबुवत पर विश्वास करना एक मुसलमान के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इनके अतिरिक्त शेष नबियों के नामों की वास्तविकता में पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। साधारणतः यह मानना आवश्यक है कि जितने पथ-प्रदर्शक अल्लाह की ओर से आए वे सब सच्चे थे।

महान नबी

जो नबी जीवन के व्यावहारिक उद्देश्य अर्थात् शरीअत लेकर आए उन्हें महान नबी उलुल-अज़्म कहते हैं। ऐसे पिछले नबियों में चार थे। नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा। इनके पहले जीवन के प्रारम्भिक नियम हज़रत आदम के समय से उनकी सन्तानों में अवश्य ही प्रचलित थे। परन्तु वे नियम या सिद्धान्त मानवी जीवन के हर मार्ग में इतनी गहराई तक नहीं पहुँच सके कि उन नियमों को शरीअत के नाम से सुशोभित किया जाता इसी कारण हज़रत आदम की गणना महान् नबियों में नहीं होती है।

अल्लाह के दस ग्रन्थ

उपरोक्त नबियों में से तीन नबियों को अल्लाह की ओर से पवित्र पुस्तकें प्रदान की गईं हैं।

मूसा को - तौरात
दाऊद को - ज़बूर
ईसा को - इंजील

सम्भव है तौरात (हज़रत मूसा की पुस्तक) के साथ बाइबिल में जो अनेकों पाठ हैं उनमें से कुछ या सभी वास्तविकता की दृष्टि में ठीक हों परन्तु सच तो यह है कि तौरात, ज़बूर, इंजील की प्रतिलिपियाँ जो बाइबिल के नाम से संसार में प्रचलित हैं वे वास्तविक पुस्तकें नहीं हैं, जो अल्लाह की ओर से पैग़म्बरों को प्रदान की गई हैं। वरन् ये सब मौलिक ग्रन्थों के परिवर्तित रूप हैं।

अलौकिक घटना (मोजिज़ा)

प्रत्येक रसूल के साथ उसकी सच्चाई का कोई प्रमाण अथवा चिन्ह होना आवश्यक है। वह चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो संसार में अपनी समता न रखता हो या अन्य कोई मनुष्य उसका जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। इस चिन्ह को मोजिज़ा (अलौकिक) घटना कहते हैं। जिसे केवल अल्लाह के श्रेष्ठ दूत ही घटित कर सकते हों, अन्य कोई नहीं।

प्रथम नबी

सर्वप्रथम अल्लाह की ओर से जो नबी नियुक्ति हुए थे हज़रत आदम थे। जो मानव समुदाय के प्रथम व्यक्ति थे जो कि मानव नद के स्रोत थे।

आदम सभी नबियों की तरह निष्पाप एवं अपराधशून्य थे। इसी कारण जन्मदाता (अल्लाह) की ओर से नुबुवत के पद पर आसीन हुए।

गेहूँ खाना जो उनके लिए निषेध किया गया वह कोई वैधानिक आज्ञा या रोक न थी, जिसकी अवहेलना को अपराध समझा जा सके वरन् एक लाभादायक सलाह थी जिसकी अवहेलना करने में उन्हे स्वर्ग को छोड़कर इस भूमि पर आना पड़ा। अगर ऐसा न होता तो आदम को इस नश्वर संसार में आना होता। क्योंकि उनके द्वारा अल्लाह को मनुष्य की जाति को आगे बढ़ाना था और अल्लाह का संसार को बनाने का उद्देश्य बिना उनके पृथ्वी पर आए पूरा ही नहीं हो सकता था।

नोटः- इस्लाम के अन्तर्गत यह कहा जाता है कि अल्लाह ने सर्वप्रथम स्वर्ग में हज़रत आदम और हौवा को उतपन्न किया और उन्हें एक बाग़ में जहाँ गेहूँ के पौधे थे छोड़ दिया गया और उन्हें ये हिदायत दी गई कि वे गेहूँ की बाली तोड़कर खाएं नहीं। परन्तु हज़रत आदम ने गेहूँ खा लिया। अतः उन्हें स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा।

ईसा बिन मरियम

हज़रत ईसा एक सच्चे नबी थे और उनकी माँ हज़रत मरियम एक पवित्र और विदुधी महिला थीं। हज़रत ईसा को अल्लाह ने अपनी माया से बिना पिता के उत्पन्न किया था। जिस प्रकार आदम को अल्लाह ने बिना माता-पिता के उत्पन्न किया था। इस कारण ईसा को अल्लाह का बेटा कहना अनुचित है क्योंकि उत्पन्न होना स्वयम् एक संसारिक प्राणी का चिन्ह है अतः वे स्वयम् अल्लाह नहीं हो सकते। पुत्र पिता का एक अंश होता है, अल्लाह एक अखंड सत्ता है उसका कोई अंश नहीं हो सकता। अतः बेटा भी कोई नहीं हो सकता।

अन्तिम रसूल

सब के पश्चात! अन्त में अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद साहब[स॰] को पैग़म्बर बनाकर भेजा। आप अपने पहले के प्रत्येक नबी से अधिक प्रतिभासम्पन्न थे। आपके पश्चात् फिर कोई नबी नहीं उत्पन्न हुआ। अतः आप ही की रिसालत (पैग़म्बरी) स्थायी हो गई।

अन्तिम अल्लाह दत्त ग्रन्थ

अल्लाह की ओर से हज़रत मुहम्मद साहब को अन्तिम धार्मिक पुस्तक ''क़ुरआन'' प्रदान की गई है। इस पुस्तक में वे सभी वास्तविकताएं जो पूर्व की पुस्तकों में प्रकट की गईं थीं सुरक्षित हैं और उनके आगे भी क़यामत तक के पथ प्रदर्शन के लिए एकत्रित की गईं शिक्षाएं लिखी हैं।

हज़रत मुहम्मद के सिद्धान्त

हज़रत मुहम्मद साहब के पहले के नबियों के सिद्धान्त प्रायः ऐसे कार्यों पर टिके हुए थे जो किसी एक काल विशेष के लिये ठीक थे परन्तु पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद साहब को ऐसे निधान व सिद्धान्त प्रदान किये गये जिनमें क़यामत तक सर्वसाधारण की हर प्रकार की भलाई व अच्छाई के साधन निहित हैं। अतः इनके सिद्धान्तों ने पिछले नबियों के सिद्धान्तों को पुराना ठहराया। हज़रत मुहम्मद साहब के सिद्धान्त स्थाई और अपरिवर्तनशील हैं।

नुबुव्वत की दलीलें (प्रमाण)

हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद साहब जिनके पिता अब्दुल्लाह, दादा अब्दुल मुत्तलिब, परदादा हाशिम बिन अब्दे मनाफ़, इब्राहीम के पुत्र इस्माईल की नस्ल से थे। आप चालीस वर्ष की आयु में रसूल की हैसियत से प्रकाश

में आए। आपकी नुबुव्वत की सच्चाई की विश्वसनीय दलीलें विद्वानों के समक्ष प्रकाशित थीं और अब भी हैं।

1- पिछले नबियों की भविष्यवाणियाँ जो कि परिवर्तित हो जाने पर भी बाइबिल में अब तक दिखाई देती हैं और हज़रत के प्रस्थान के समय अधिक स्पष्ट थीं।

2- हज़रत की पवित्र और श्रेष्ठ प्रकृत्तियाँ जिनका चालीस वर्ष तक निरीक्षण हो चुका था। हज़रत मुहम्मद साहब के जीवन में विशेष रूप से उनकी सत्यता तथा ईमानदारी इतनी प्रकट हो चुकी थी कि अरब के लोगों ने उनका नाम ही सादिक़ (सच्चा) और अमीन (ईमानदार, धरोहर रखने में विश्वसनीय) रख दिया था।

3- वे असाधारण और अलौकिक घटनाएं जिन्हें मोजिज़ा कहते हैं हज़रत मुहम्मद साहब के द्वारा घटित हुईं जिस प्रकार कि उनके पहले के नबियों द्वारा घटित की गई या प्रकाश में आईं। यह घटनाएं लोगों के द्वारा देखी जाने वाली थीं अर्थात् इनका आँखों या देखने से सम्बन्ध था। जिनमें शक़्क़ुल क़मर (चन्द्रमा के दो टुकड़े हो जाना) और रजअते शम्स (सूरज का पलट जाना) अत्यन्त स्पष्ट रूप में थीं। एक अन्य मोजिज़ा प्रत्येक काल और प्रत्येक मनुष्य के लिए बाक़ी है जिसे ''क़ुरआन मजीद'' कहते हैं।

क़ुरआन किन-किन हैसियत में एक असाम्भविक घटना है इसका विस्तृत विवचन हमारी एक अन्य पुस्तक ''मुक़द्दमः तफ़सीर क़ुरआन'' में किया जा चुका है।

इस्लाम धर्म और हज़रत मुहम्मद के सिद्धान्त

इस्लाम उस धर्म का नाम है जिसका मौलिक सिद्धान्त तौहीद ''अल्लाह की इकाई'' की उपासना है।

यह धर्म सदैव से एक ही था। आदम से लेकर ख़ातम (हज़रत मुहम्मद) तक इसी धर्म के प्रचार करने के लिए अनेकों नबी भेजे गए परन्तु हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा उनमें सबसे अधिक लोगों के हृदय पर प्रभाव डालने वाले, दिल में घर कर लेने वाले तथा आँखों में समा जाने वाले हुए। इसी कारण आपको इस्लाम की बुनियाद डालने वाला कहा जाता है।

परन्तु शरीअत उस क़ानून को कहते हैं जिसको व्यावहारिक जीवन में कमी को पूरा करने के लिए मनुष्यों और संसार की रचना के लिए जन्मदाता की ओर से जारी किया गया हो। इसके सभी कार्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित किये जा सकते हैं इस कारण पहले के नबियों के सिद्धान्तों को अनेकों आज्ञाएँ हज़रत मुहम्मद साहब के सिद्धान्तों में समविष्ट कर दी गई हैं। निसन्देह इनके सिद्धान्तों में इस प्रकार के दोषरहित और उचित नियम रख दिये गये हैं जो कभी भी इस्लाम से अलग नहीं किये जा सकते हैं।

नस्ख़

(कोई आदेश देकर पुनः उसे लौटा या रद्द कर देना)

अल्लाह की ओर से क़ानून के किसी अंश में परिवर्तन कर देने को नस्ख़ कहते हैं। ये परिवर्तन इसलिये नहीं किये जाते कि अल्लाह ने कोई ऐसा आदेश जारी किया जो उसकी अनभिज्ञता एवं अदूरदर्शिता का घोतक हो और तत्पश्चात त्रुटियों का ज्ञान होने पर लज्जावश अपने आदेश को रद्द कर रहा हो वरन् वातावरण, काल एवं परिस्थिति के उलटफेर या परिवर्तन के साथ आदेशों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है।

इस्लामी धर्म शास्त्र की पूर्णता

इस्लाम के धर्म शास्त्र की विशेषता उसके आदेशों का सम्पूर्ण होना है। उस में न द्रव्यी आवश्यकताओं को हटाया गया और न आत्मा की आवश्यकताओं को। बल्कि सांसारिक और धार्मिक को साथ-साथ रख दिया है। और धर्म के साथ जीवन को भी उज्जवल करने की सलाह दी गई है।

इस्लाम के प्रदर्शकों की शिक्षा यह है कि- हम में से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है जो धर्म को संसार के लिए तज दे और न उसका जो संसार को धर्म के लिए तज दे (सन्यासी हो जाए)।

यहाँ का विशेष सिद्धान्त यह है- ''संसार आख़िरत (परलोक) की खेती है'' और यह कि ''इस्लाम में सांसारिक वस्तुओं का तज देना (सन्यास) नहीं है''।

''इबादत (पूजा) का उद्देश्य''

इस्लामी विधान में इबादत केवल कुछ रीतियों के करने या बिलावजह अपने मन या शरीर को कष्ट

पहुँचाने का नाम नहीं है, वरन् व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन का प्रत्येक काम जो अल्लाह की प्रसन्नता के लिए उसके विधान के अनुसार पूरा किया जाए इबादत है।

इसमें अल्लाह के आदर तथा पूजा की रीतियों के साथ-साथ शरीरिक जीवन की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, और सीमित जीवन के काम जैसे अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव सभी बच्चों के साथ प्यार प्रेम करना तथा देशप्रबन्धीय जीवन के कार्य जैसे क़ौम के मनुष्यों के उपकार के सामान और उनके सुधार तथा उन्नति में प्रयत्न आदि सब ही सम्मिलित हैं।

किताबे बाक़ी (बाक़ी रहने वाली किताब)

क़ुरआन इस अर्थ में तो किताब-बाक़ी है ही कि पहले की पुस्तकों में जो धार्मिक आदेश थे वह सब समाप्त हो चुके हैं या पूर्ण रूप से क़ुरआन में आ गए हैं। अतः उन पुस्तकों के केवल ख़ुदा की किताब होने पर ही हमें ईमान लाना है किन्तु व्यावहारिक जीवन में क़ुरआन ही है जिसे दृष्टि के सामने रखना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त क़ुरआन इस लिहाज़ से भी "किताब बाक़ी" है कि दूसरी कोई आसमानी पुस्तक अपनी असली दशा में संसार की किसी जाति के पास इस समय नहीं है।

केवल क़ुरआन मजीद वह पुस्तक है जो अपने असली शब्दों के साथ इस समय संसार में मौजूद है। वैसे चाहे जितने भाषान्तर क़ुरआन को संसार की भाषाओं में हो जाए किन्तु उन में से कोई भाषान्तर भी मुसलमानों के समीप क़ुरआन नहीं समझा जा सकता।

क़ुरआन जिसका नाम है वह वही वस्तु है जो अपने एकता, क्रम, और अपरिवर्तित शब्दों के साथ करोड़ों मनुष्यों के हाथों में और लाखों मनुष्यों के सीनों में सुरक्षित है और जो संसार के हज़ारों परिवर्तनों के पश्चात् भी इन्शाअल्लाह ऐसा ही सुरक्षित रहेगा।

निस्सन्देह उसकी आयतों (वाक्यों) का क्रम वह नहीं है कि जिस क्रम से वह उतरी थीं किन्तु यह भी क़ुरआन की पहचान का एक न मिटने वाला मोजिज़ा है कि क्रम बदल जाने पर भी उसके एजाज़ (मोजिज़ा होना) की अस्ल क़ायम व बाक़ी है और उसकी आयतें अपने परिपूर्ण भावों के साथ भी मारफ़त (ज्ञान) के कमालात (गुण) अपने दामन में लिये हुए हैं और जीवन के रास्तों में दीपक रौशन किये हुए हैं।

इमामत

इमामत एक महान धार्मिक पद है जो अल्लाह की ओर से मिलता है जिसके सम्बन्ध में (क़ुरआन से) पता चलता है कि वह नुबुव्वत और रिसालत के पदों के मिलने के बाद विशेष परीक्षा में सम्पूर्णतः सफ़ल होने पर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम को मिला और उनकी इच्छा के अनुसार अल्लाह ने उन से वादा किया कि इमामत उनकी सन्तान को मिलेगी और हज़रत मुहम्मद साहब (जो उन्हीं की सन्तान में पैदा हुए) पर जब नुबुव्वत और रिसालत समाप्त हो गई तो इमामत, उन की ख़िलाफ़त के रूप में उनकी सन्तान में चलती रही।

ख़िलाफ़त

ख़िलाफ़त का अर्थ है 'जानशीनी' या उत्तराधिकार। इसलिए रसूलुल्लाह के बाद जो उनका जानशीन और उत्तराधिकारी हो उसको रसूल का ख़लीफ़ा कहना ठीक है और वास्तव में वह ऐसा ही होगा जो अल्लाह की ओर से इमामत के पद पर हो। इसलिए 'इमामत' जो हमारा विषय है, रसूलुल्लाह की सही जानशीनी है जो इस्लामी सम्प्रदायों में शिया और अन्य मुसलमानों में मतभेद का केन्द्रीय विषय है।

ख़लीफ़ा का स्थान

ख़लीफ़ा या उत्तराधिकारी उसको कहते हैं जो उन कार्यों को पूरा करे जिसका ज़िम्मेदार उसके पूर्व का अधिकारी था। इसलिए ख़लीफ़ा का स्थान समझने के लिए उस व्यक्ति का स्थान समझना आवश्यक है जिसका ख़लीफ़ा उसे होना है।

पैग़म्बर की हैसियत (पद) अगर एक राजा और दुनिया के शासक की होती तो दुनियावी और सांसारिक राजा और शासक उनके ख़लीफ़ा और उत्तराधिकारी समझे जा सकते थे मगर रसूल का पद तो एक धार्मिक शासक और हाकिम का था जिनकी आज्ञाएं ख़ुद उनकी आज्ञाएं नहीं थीं वरन् वे अल्लाह की आज्ञाएं थीं जो उनके द्वारा पहुँचाई जाती थीं। इसीलिए उनको ऐसा मानना

ज़रूरी है कि उनकी आज्ञाएं उनकी अपनी इच्छाएं नही थीं वरन् अल्लाह की इच्छा के अनुसार होती थीं। इसलिए उनका उत्तराधिकारी भी ऐसा ही हो सकता है जो अल्लाह की इच्छानुसार लोगों के सुधार और संगठन का ज़िम्मेदार हो और जिसकी आज्ञाएं राजनैतिक चालों और स्वार्थी इच्छाओं से दूर हों और उसकी आज्ञाओं पर खुद उसकी अपनी भावनाओं की छाँव पड़ने की सम्भावना हीन हो। ऐसे ही व्यक्ति को 'मासूम' या अभ्रान्त कहते हैं।

ख़लीफ़ा बनाने का अधिकार

यह बिलकुल अक़्ल में आने की बात है कि किसी पद के असली अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार जिसको हो, उसी को उस अधिकारी के जानशीन और उत्तराधिकारी की नियुक्ति का भी अधिकार हो।

लोगों को अपने बहुमत, या सहमत होने, से किसी को चुन लेने का अधिकार जो प्रजातंत्रवाद की मांग है, अगर धार्मिक शासन में भी स्वीकार किया गया होता तो रसूल ही के चुन लेने का हक़ उम्मत (उसकी राय पर चलने वालों) को होता मगर मुसलमानों का कोई भी सम्प्रदाय इस से सहमत नहीं है। रसूल की नियुक्ति केवल अल्लाह की ओर से होती है। इसी प्रकार रसूल के ख़लीफ़ा की नियुक्ति भी लोगों के हाथ में नहीं है वरन् अल्लाह ही की ओर से होना ठीक है जिसकी सूचना रसूल के द्वारा लोगों को दी जायगी।

ख़लीफ़ा की उपस्थिति का उद्देश्य लोगों का सुधार है। अगर उसके नियुक्त करने का अधिकार उन्हीं को दे दिया गया तो वे ऐसे ही को चुनेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इच्छानुसार चले। इस से सुधार असम्भव हो जाए।

पैग़म्बर की घोषणाएं

बेसत (पैग़म्बरी का पद मिलने) के बाद जब रसूल को आज्ञा मिली कि अपने कुटुम्ब वालों को ज्ञान का सन्देश पहुँचाइए तो रसूल ने इस आज्ञा का पालन करते हुए बनी हाशिम को जमा किया और अपने रसूल होने की सूचना उनको दी और फिर कहा, ''कौन है तुम में से जो इस समय मेरी सहायता करना स्वीकार करे, वही मेरा जानशीन और उत्तराधिकारी होगा'' कोई न था जो उस समय उनकी सहायता करने पर तत्पर होता सिवाए हज़रत अली के जो खड़े हुए और रसूल की सहायता करने पर तैयार हुए और रसूल ने उनके कन्धे पर हाथ रखकर कहा, ''बस यही मेरा ख़लीफ़ा और उत्तराधिकारी होगा''।

.... स्पष्ट है कि यदि ख़लीफ़ा के चुनाव का सम्बन्ध साधारण लोगों से होता तो रसूल को उस समय इस घोषणा और समझाने का मौक़ा ही न था। खुद उस समय आपका एलान इस बात का सुबूत है कि जिस प्रकार आपकी रिसालत (रसूल का पद) अल्लाह की ओर से है उसी प्रकार आपके ख़लीफ़ा और उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी अल्लाह की ओर से है जिसकी सूचना देना रसूल का कर्तव्य है। फिर समय-समय पर आप भिन्न-भिन्न शब्दों में इसको प्रकट करते रहे और फिर जब अपने जीवन का आख़िरी हज किया तो ग़दीरेख़ुम पर पहुँच कर अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हुए मुसलमानों के आम मजमे में एक लम्बा खुतबा कहा जिसमें इस्लाम फैलाने और मुसलमानों को उचित मार्ग पर लगाने में अपने कष्टों का वर्णन करने के बाद अपनी मृत्यु के निकट होने की सूचना दी। फिर उनसे हामी भराई कि ''क्या मेरा तुम्हारे ऊपर खुद तुम से ज़्यादा अधिकार नहीं है?'' जब सब ने हामी भर ली तो आप ने सब की आँखों के सामने हज़रत अली को ऊँचा किया और कहा, ''जिसका मैं हाकिम हूँ उसके ये अली हाकिम होंगे।'' इस घोषाणा के बाद बहुत से लोगों ने अली बिन अबीतालिब को बधाई दी और रसूल की आज्ञानुसार अमीरुलमोमिनीन (मुसलमानों के हाकिम) कह कर सलाम किया।

यह सब कुछ रसूलुल्लाह ने अपने मृत्यु से करीब ढाई महीने पहले कर दिया और इस घोषणा के बाद मदीने आए और कुछ दिन के बाद बीमार हो गए और इस संसार से प्रस्थान किया।

उपर्युक्त घोषणाओं के साथ-साथ जिनके द्वारा आपने अपने पहले उत्तराधिकारी की घोषणा की दूसरी

शेष........ पेज 14 पर

किसी ख़बर को सुनकर उस से असर लेने से पहले उसकी जाँच कर लो

अल्लामा सै० मुहम्मद रज़ी साहब क़िब्ला, कराची
अनुवादकः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

इस्लाम ने किसी ख़बर के बयान करने और उसकी तसदीक़ करने के लिए मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेने पर ज़ोर दिया है क्योंकि ज़्यादातर झगड़े फ़साद और बड़ी-बड़ी तबाहियों की शुरुआत अफ़वाहों और झूठी ख़बरों ही से हुआ करती है। लोग या तो ख़ुद ही जानबूझ कर ग़लत बातें मशहूर किया करते हैं ताकि उनकी आड़ लेकर वह अपने मक़सदों को हासिल कर सकें या फिर वह सुनी सुनाई बातों को बग़ैर तहक़ीक़ किये और बग़ैर उनकी जाँच किए हुए सही समझ लेते हैं और दूसरों से भी उन्हें उसी तरह बयान करने लगते हैं जैसे वह बिल्कुल दुरुस्त और यक़ीनी हों जिसके नतीजे में ये लोग भी अफ़वाहों के असली गढ़ने वालों की तरह उन तमाम बुराईयों और तबाहियों के ज़िम्मेदार हो जाते हैं जो उन बेबुनियाद ख़बरों की वजह से सामने आती हैं। क़ुरआन करीम में ख़ुदा का इरशाद हैः- ''ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हारे पास कोई फ़ासिक़ शख़्स कोई ख़बर लेकर आए तो तुम उस की ख़ूब जाँच-पड़ताल कर लिया करो (ऐसा न हो) कि तुम किसी क़ौम को (अपनी) बेवक़ूफ़ी की वजह से नुक़सान पहुँचा दो फिर अपने किए पर पछताओ।'' (सूरए हुजरात, आयत-6) इस पाक आयत में खुले तौर पर ख़ुदा ने तमाम मुसलमानों को इसका हुक्म दिया है कि अगर ख़बर देने वाले का कैरेक्टर सही न हो तो उसकी बयान की हुई बातों को बग़ैर पूरी छान-फटक किये हरगिज़ न माना जाए क्योंकि इस तरह ख़बर की तसदीक़ करने और उस पर अमल करने या उसको दूसरों तक फैलाने में बड़े ख़तरे पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही क़ुरआन करीम ने अफ़वाहों को फैलाने वालों और बेबुनियाद ख़बरों के गढ़ने वालों की हैसियत भी साफ़ कर दी और इस तरह अफ़वाह फैलाने के इन दोनों पहलुओं पर इस्लामी नज़रिया पूरी तरह हमारे सामने आ जाता है। जो लोग हक़ बात को छुपाकर ग़लत बातों को फैलाते हैं इस्लाम में वह सच्चे मुसलमान नहीं हैं बल्कि मुनाफ़िक़ हैं चुनानचे ख़ुदा फ़रमाता है,

''ये (मुनाफ़िक़ लोग) अपने मुँहसे वह बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है और जिन बातों को वह छुपाते हैं उन्हें ख़ुदा ख़ूब जानता है।'' (आले इमरान, आयत-167) मतलब ये है कि ये सिर्फ़ मुनाफ़िक़ों का ध ोका और फ़रेब है कि वह सच्ची बातों को जानते हुए अपनी ज़बान से उनके ख़िलाफ़ बयान करते हैं और असलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं मगर ख़ुदा उनकी इस हरकत से अन्जान नहीं है और वह उनके दिलों का हाल अच्छी तरह जानता है। इसका नतीजा यही निकलता है कि अगर कोई शख़्स सच्चा मुसलमान है और दिल से क़ुरआन पाक और इस्लाम पर ईमान और यक़ीन रखता है तो वह कभी जानबूझ कर झूठी बात ज़बान से नहीं निकालेगा और वही कहेगा जिसकी सच्चाई और सेहत पर उसे यक़ीन होगा इसी तरह बिना तहक़ीक़ किये और बग़ैर पूरी तरह यक़ीन किये हुए वह अफ़वाहों पर कान न धरेगा और उन पर अमल भी न करेगा। ये दोनों ही बातें ग़लत ख़बर फैलाने की सबसे बुरी आदत के दो बहुत ही ख़तरनाक रुख़ हैं और बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। ये वह हदें और किनारे हैं जिनसे इस आदत के पड़ने की शुरुआत होती है और

आख़िर में फ़िर ये अकेली बुराई और अकेला जुर्म नहीं रहती बल्कि बुराईयों, बद-अख़लाक़ियों, गुनाहों और हर तरह की तबाहियों का एक बड़ा मजमुआ बन जाती है और एक ऐसा नासूर हो जाती है जो हमेशा रिस्ता रहता है। और जिस से इंसानी समाज के हर डिपार्टमेन्ट के लिए तबाही और बर्बादी का दरवाज़ा खुल जाता है। शुरु में जो बहुत मामूली अंगारा और छोटी सी चिंगारी लगती है वह कुछ ही ज़माने में पूरी इंसानी ज़िन्दगी को जहन्नम बना देती है और फिर उसकी आग पर कन्ट्रोल कर लेना किसी के भी बस में नहीं रहता यहाँ तक कि दूसरों के साथ वह लोग भी जो अफ़वाह फैलाने के ज़िम्मेदार होते हैं इस आग का ईंधन बनने से बच नहीं सकते। ग़रज़ इंसानी समाज की सलामती और अमन व सुकून बड़ी हद तक इस बात पर टिका है कि ख़बरें जुटाने और ख़बर या कोई और बात बयान करने या उस पर अमल करने में पूरी छान-फटक की जाए और उसका पूरी तरह से जाएज़ा लिया जाए फिर जब पूरा यक़ीन और मुकम्मल भरोसा पैदा हो जाए तो उस वक़्त उसकी तसदीक़ की जाए।

किसी समाज की एकजुटता और एकता को ख़त्म करने और एकजुट होने को टुकड़े-टुकड़े करने में ग़लत ख़बरें फैलाने का बड़ा हाथ होता है और जो काम हथियार नहीं कर सकता वह इससे लिया जाता है। और इसी बुनियाद पर ये बात भी यक़ीनी है कि जो क़ौम अफ़वाहों और बेबुनियाद ख़बरों को नहीं रोक सकती वह कभी अपने अन्दर एकता नहीं पैदा कर सकती और हमेशा अफ़रातफ़री और बिगाड़ का शिकार बनी रहती है। वह अपने छोटे से छोटे दुश्मन का मुक़ाबला नहीं कर सकती और न किसी मैदान में कभी आगे बढ़ सकती है। अफ़वाह फैलाना अम्न और सलामती का दुश्मन है। लॉ एण्ड आर्डर की ज़िद है और बिगाड़ और फ़साद की ज़मानत है इसलिए जब तक क़ौम से इस बीमारी को दूर न किया जाएगा उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वह ज़िन्दगी की दौड़ में एक क़दम भी आगे बढ़ सके बल्कि अपने वुजूद को बाक़ी रख सके। क़ुरआन करीम ने सच्ची बात कहने पर इसी वजह से मुसलमानों को ज़ोर दिया है ताकि वह इन ख़राबियों से बचे रह सकें। एक जगह फ़रमाया गया है, ''ऐ ईमान वालो! ख़ुदा से डरो और ठीक बात कहा करो।'' (सूरए अह्ज़ाब, आयत-70) इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची और ठीक बात कहना ख़ुदा से डरने की निशानी है और अफ़वाह फैलाना उसका उलट है यानी ऐसे लोग जो इस बुरी आदत से परहेज़ नहीं करते उनके दिल में ख़ुदा का बिल्कुल डर नहीं है और ज़ाहिर है कि ऐसे आदमियों का इस्लाम से किस हद तक वास्ता और जोड़ हो सकता है।

इसके साथ ही झूठी ख़बरें फैलाना इंसानी समाज पर एक बड़ा ज़ुल्म भी है इसलिए कि इंसान को उसका बुनियादी हक़ हासिल है कि उसे हमेशा सही और सच्ची बात बताई जाए और अगर ऐसा न होगा तो वह अपने इस बुनियादी हक़ से महरूम हो जाएगा जिसे दूसरे शब्दों में ज़ुल्म कहा जाता है और ये हक़ीक़त है कि इस्लाम और ज़ुल्म एक जगह इकटठा नहीं हो सकते।

ग़लत बात कहना यक़ीनन बुराई को फैलाना है, और क़ुरआन पाक का एलान है कि जो लोग बुराई फैलाते हैं उनके लिए दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब है। अफ़वाह फैलाना खुला झूठ है, इल्ज़ाम लगाना है, ख़यानत करना और धोका देना है और ये सब वह बातें हैं जिन पर क़ुरआन और हदीस में लानत और बुराई की गई है। रसूल[स०] ने फ़रमाया है, ''जो आदमी हमें धोका देता है उस से हमारा कोई वास्ता नहीं।'' (सही मुस्लिम) इस्लाम का पैग़ाम आपसी भाईचारगी और एकजुटता है, आपस की मुहब्बत और मेहरबानी है, एकता, अखण्डता और केन्द्रीयता है, और इसके ख़िलाफ़ ग़लत बात कहने से इस्लामी सफ़ों में नीचता, बिगाड़ और अफ़रातफ़री पैदा होती है इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये इस्लामी ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़े से सख़्त बग़ावत, ख़ुदा के पैग़ाम से भागना और उसकी बेइज़्ज़ती है और जो लोग भी इस्लामी भाईचारगी का इस तरह मज़ाक़ उड़ाते हैं और झूठी ख़बरें फैलाकर इस्लामी मिल्लत में बिगाड़, बे-इन्तिज़ामी और बद-अमनी पैदा करते हैं उनके दिल और दिमाग़ इस्लामी रूह और ईमानी समझ से बिल्कुल महरूम हैं।



इस्लाम और इंसानी हुकूक़

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़्वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द
अनुवादः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

(10)

पिछले मज़मून में ईसाई फ़ौजियों के हाथों यरोशलम में हुए क़त्ले आम के दृश्य को खुद एक ईसाई पादरी की ज़बानी पेश किया गया और वह कहने पर मजबूर हो गया कि इन ज़ालिमों में हज़रत ईसा का सच्चा मानने वाला एक भी न था। इसी को देखते हुए उस ईसाई पादरी ने मुसलमानों की रहमदिली की तारीफ़ की कि जब मुसलमानों का विजयी लश्कर यरोशल में दाखिल हुआ था तो किसी भी बेगुनाह शहरी को क़त्ल नहीं किया गया। इस तरह उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी तारीफ़ की कि यरोशलम की जीत के बाद उनके सुलूक में और मुसलमानों के साथ ईसाईयों के सुलूक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क़ था। मुसलमान फ़ौजों ने ऐसा कोई भी अमानवीय क़दम नहीं उठाया कि जैसे ईसाई करते थे। इस्लामी फ़ौज ने थोड़ा सा फ़िदया (टैक्स) लेकर सबको आज़ाद कर दिया और कोई भी क़त्ल नहीं किया गया। अब अमरीका का वह फ़सादी पादरी जिसने इस्लाम को ज़ुल्म और ज़्यादती का मज़हब बताते हुए कुरआन मजीद की बेइज़्ज़ती का बुरा काम अंजाम दिया है, अपने मज़हब वाले और अपने ही जैसे पादरी का बयान पढ़कर खुद फैसला कर ले कि ज़ुल्म और ज़्यादती, क़त्ल और फ़साद किस तरफ़ है और रहम और मेहरबानी और मुहब्बत किस तरफ़?

इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह ज़ुल्म और सबसे बड़ी इबादत किसी मज़लूम सताए हुए, कमज़ोर और मदद चाहने वाले की मदद करना है। कुरआन मजीद में अल्लाह का इरशाद है, मतलब- ''ज़ालिमों के लिए नजात नहीं है'' (सूरए इन्आम, आयत-21) दूसरी जगह पर इरशाद है, मतलब- ''किसी ने अगर एक इंसान को भी बिना किसी जुर्म और ग़लती के क़त्ल कर दिया तो जैसे उसने पूरी इंसानियत को क़त्ल कर दिया'' (सूरए माएदा, आयत-32) आयत में न मुस्लिम का शब्द है और न मोमिन, बल्कि अगर कोई भी खुदा का बन्दा बेगुनाह क़त्ल हो गया तो जैसे पूरी इंसानियत का क़त्ल हो गया। एक दूसरी जगह एलान हो रहा है, मतलब- ''क़रीब है कि ज़ालिमों को उनका अंजाम मालूम हो जाएगा'' (सूरए शोअरा, आयत-227)। हर गुनाह की सज़ा आख़िरत में है, इसलिए सारे बेईमान, रिश्वत खाने वाले, चोर खुले आम फिर रहे हैं और सीना तान कर कहते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। उन्हें ख़बर नहीं कि अल्लाह ने उन्हें छूट दे रखी है। उनकी सज़ा यहाँ नहीं, बल्कि वहाँ है जहाँ की सज़ा से कोई बच नहीं सकता, लेकिन सिर्फ़ ज़ुल्म ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में भी है और आख़िरत में भी। इसलिए पाक आयत में क़रीब में आने वाले ज़माने का शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी इसी दुनिया में ही ज़ालिम को उसके ज़ुल्म की सज़ा मिल कर रहेगी और इस से मिलती-जुलती हदीस शरीफ़ भी है। रसूलुल्लाह[स०] ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला का इरशाद है, मतलब- ''क़सम है मेरे इज़्ज़त व जलाल की कि मैं दुनिया और आख़िरत दोनों में ज़ालिम से खुद बदला लूँगा और उन से भी जो ज़ालिम की मदद करेंगे''।

इस्लाम में किसी भी मुसलमान की खुलेआम बुराईयाँ और कमियाँ बयान करने से सख़्ती से रोका गया है और कुरआन मजीद ने इसको अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने की तरह बताया है, मगर ज़ालिम

की बुराई बयान करने की मज़लूम को इजाज़त दी गई है। कुरआन मजीद में इरशाद होता है, मतलब- ''अल्लाह ये नहीं पसन्द करता कि कोई किसी की खुलेआम बुराईयाँ बयान करे, मगर सिर्फ़ वह जो मज़लूम है''। (सूरए निसा, आयत-148) यानी सिर्फ़ मज़लूम को इजाज़त है कि वह ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतेजाज की आवाज़ उठा सकता है। इस पाक आयत से उन फ़तवों की हक़ीक़त खुल जाती है, जो ज़ालिम हुकूमतों की हिमायत में आते हैं और आ रहे हैं कि हुकूमत कैसी भी हो, उसके ख़िलाफ़ एहतेजाज करना हराम है। ये सारे फ़तवे खुलेआम कुरआन मजीद की मुख़ालफ़त कर रहे हैं।

कुरआन की आयतों के अलावा अंगिनत हदीसें हैं, जो ज़ुल्म को सबसे बुरा गुनाह साबित करती हैं। एक हदीस तो ऊपर बयान हो चुकी है, इसी से मिलती-जुलती एक दूसरी हदीस है जो बहुत ध्यान देने वाली है, जिस तरह से बारिश का एक तेज़ छींटा गंदगी बहा ले जाता है, उसी तरह ये हदीस इस्लाम पर लगाए गए सारे इल्ज़ामों को पाक और साफ़ कर देती है। रसूल[स॰] का इरशाद है मतलब- ''मज़लूम की बद-दुआ से डरो चाहे वह मज़लूम काफ़िर ही क्यों न हो'' क्योंकि मज़लूम की फ़रियाद में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। (मुन्तख़ब मीज़ानुल हिक्मत, पेज-35) हदीस एलान फ़रमा रही है कि काफ़िर का कुफ़्र भी अगर वह मज़लूम है, उसकी बद-दुआ को अल्लाह तक पहुँचने से नहीं रोकता। इस से अंदाज़ा कीजिए कि इस्लाम के क़ानून में मोमिन या मुसलमान बन्दे पर ज़ुल्म करना तो बहुत दूर की बात है, किसी ग़ैर मुस्लिम और काफ़िर पर भी ज़ुल्म की इजाज़त नहीं है। कोई भी मज़लूम चाहे काफ़िर ही क्यों न हो अल्लाह उसकी फ़रियाद सुनेगा और ज़ुल्म करने वाले चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, अल्लाह की सज़ा से बच नहीं सकता। काश इस हदीस पर वह मुल्ला साहेबान भी ग़ौर कर लें जो कुफ़्र के फ़तवे देकर क़त्ल को वाजिब क़रार देते हैं। एक और नायाब और अनोखी मुबारक हदीस जो इस्लाम की बुनियादी फ़िक्र को सामने लाती है, मतलब- ''कोई भी इंसान अगर मुसलमान को मदद के लिए पुकारे और कोई मुसलमान सुन कर भी मदद न करे तो वह मुसलमान नहीं है''। (उसूले काफ़ी, जि-3 पे-239) रसूल[स॰] के इस इरशाद में भी मोमिन या मुसलमान का शब्द नहीं है, यानी अगर काफ़िर भी मदद के लिए पुकारे तो मुसलमान पर मदद करना वाजिब है, वरना वह इस्लाम से निकल जाएगा।

इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज़ है, जिसके लिए रसूल का इरशाद है कि अगर नमाज़ कुबूल है तो सारे काम कुबूल हैं, मगर दूसरी तरफ़ शरीअत है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज़ पढ़ने में नज़र पड़ गई कि कोई अंधा गढढे में गिरने जा रहा है तो नमाज़ तोड़ना वाजिब हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी की आवाज़ सुन ले कि मैं डूब रहा हूँ मुझे बचा लो तो यह डूबने वाला चाहे सख़्त तरीन काफ़िर ही क्यों न हो नमाज़ तोड़ना वाजिब हो जायगा। अब नमाज़ पढ़ना नाजाएज़ है और उस काफ़िर को बचाना वाजिब है। दूसरे शब्दों में अब नमाज़ इबादत नहीं, अब उस काफ़िर को बचाना इबादत बन जाएगा। ये है इस्लाम और ये है इस्लाम का मेहरबानी भरा क़ानून।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 8 अप्रैल 2011[ई॰])

(11)

पिछले मज़मून में तफ़सील से इस इल्ज़ाम का जवाब दिया गया कि ''इस्लाम ज़ुल्म और ज़्यादती का मज़हब है और उसमें इंसानी हुक़ूक़ की कोई रिआयत नहीं''। कुरआनी आयतों और कई हदीसों से पूरे तौर पर साबित हुआ कि इस्लाम में सबसे बुरा गुनाह ज़ुल्म है और अल्लाह तआला ने एलान फ़रमाया है कि ज़ालिम और उसकी मदद करने वाले से दुनिया और आख़िरत दोनों में बदला लूँगा चाहे ज़ालिम मुसलमान और मज़लूम काफ़िर ही क्यों न हो। जाहिलियत के ज़माने में अरब वालों का तरीक़ा ये था कि वह अपने क़बीले और रिश्तेदारों की हिमायत करते थे, चाहे वह ज़ालिम हों या मज़लूम, वह ये नहीं देखते थे कि ज़्यादती किस तरफ़ से है। आपसी अहद भी इस बुनियाद पर होते थे कि एक दूसरे का साथ देना है चाहे ज़ुल्म ही में शामिल क्यों न हों, मगर इस्लाम ने तास्सुब के इस बुनियादी ख़याल को बदल दिया। पहले तो कुरआन मजीद ने एलान फ़रमाया,

मतलब- ''नेकी और तक़्वे की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद करो और देखो गुनाह और ज़ुल्म व ज़्यादती में एक दूसरे की मदद करने वाले न बनना''। (सूरए माएदा, आयत-2) ये ऐसा फैसले वाला उनवान है जिसे किसी भी झूठे मतलब या बहानेबाज़ी से बदला नहीं जा सकता। फिर रसूल[स०] ने मुसलमानों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया, ''अपने भाई की मदद करो चाहे मज़लूम हो चाहे ज़ालिम'' लोगों ने हैरत से पूछा ऐ अल्लाह के रसूल[स०] आप क्या फ़रमा रहे हैं? मज़लूम की मदद तो करना चाहिए, मगर ज़ालिम की मदद क्यों करें। मतलब ये था कि ये जाहिलियत के ज़माने का क़ानून था और आज तो इस्लाम का दौर-दौरा है। ये आप क्या इरशाद फ़रमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल[स०] ने खुलकर बताया कि अगर अपना कोई भाई ज़ुल्म कर रहा हो तो उसकी मदद ये है कि उसे ज़ुल्म करने से रोक दो। उसका हाथ पकड़ लो और ज़ुल्म न करने दो। क़ुरआन की आयत और रसूल[स०] के फ़रमान ने ऐसे तमाम मुआहदों को बातिल क़रार दिया कि जिनकी वजह से ज़ुल्म में शिरकत हो जाए। ज़ुल्म से बचाव के लिए कहते तो मुसलमान आपसी अहद कर सकते है। किसी पर ज़ुल्म करने के लिए किसी अहद को बहाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कोई अहद जाहिलियत और अरबों के ज़माने की पुरानी रंजिश की यादगार हो तो हो सकता है, क़ुरआन मजीद और रसूल[स०] की तालीमात का आईना नहीं हो सकता।

मुनासिब होगा कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़ पैग़म्बरे इस्लामस० के कुछ और इरशाद पेश कर दिये जाएं- ''जो ज़ुल्म करने वाले का साथ देगा वह मुजरिम है और अल्लाह मुजरिमों से बदला लेगा'', ''ज़ालिम के चेहरे पर जानबूझ कर निगाह डालना बड़ा गुनाह है'' अब इंसाफ़ कीजिए कि जब ज़ालिम के चेहरे पर निगाह डालना बड़ा गुनाह है तो ज़ालिम का साथ देना और इस से बढ़कर खुद ज़ुल्म करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। ''ज़ालिम का साथ देने वाला इस्लाम से बाहर है''। अब पढ़ने वाले खुद फ़ैसला करें कि जब रसूल[स०] के कथन के हिसाब से ज़ालिम का साथ देना इस्लाम से बाहर कर देता है तो खुद ज़ालिम इस्लाम पर कैसे बाक़ी रह सकता है? ये साथ देना ज़बान से भी हो सकता है और क़लम से भी और ज़ुल्म के क़िस्से सुनकर ख़ामोश रहकर भी। अब जो लोग ज़ालिमों की हिमायत में ज़बान और क़लम इस्तेमाल करते हैं या ज़ुल्म पर ख़मोशी इख़्तियार कर लेते हैं वह ख़ुद अपने अंदर झांक कर देख लें।

इस्लाम में मज़लूम और सताए हुए लोगों के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। बस मज़लूम और मदद माँगने वाला हो तो उसकी मदद हर मुसलमान पर अपनी ताक़त के हिसाब से वाजिब है। यही इस्लामी तरीक़ा है। और यही मुहम्मदी सुन्नत है। दलील के तौर पर एक तारीख़ी वाक़िआ पेश किया जाता है। शुरु इस्लाम का ज़माना है और अभी लोग रसूल[स०] को शक्ल से ज़्यादा नहीं पहचानते हैं। औस के क़बीले का एक शख़्स अपना ऊँट बेचने मक्का आता है। इत्तेफ़ाक़ से अबूजहल ने ऊँट पर तो क़ब्ज़ा कर लिया मगर क़ीमत देने से इनकार कर दिया जैसे कि आज कल दादगीरी होती है। इलाक़े के दादा हैं जिस होटल में चाहा अपने साथियों के साथ खा-पी लिया और मूँछों पर ताव देते हुए बाहर निकल आए, होटल वाले की हिम्मत नहीं कि बिल पेश कर सके। जिस दुकान पर गए जो दिल चाहा ले लिया, पैसे देने का कोई सवाल नहीं और दुकानदार की हिम्मत नहीं कि माँग सके। अबूजहल अरब का सरदार है। आने वाला ग़रीब परदेसी है। इसलिए ऊँट हड़प कर लिया अब क़ीमत वसूल कर सको तो कर लो, वह ज़्यादती का मारा रोता हुआ काबे के क़रीब पहुँचा। देखा कुछ अरब के सरदार वहाँ इकटठा हैं। सारा हाल उन से बयान किया और मदद माँगी। उसी वक़्त हुज़ूर सरवरे काएनात मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०] एक कोने में इबादत में लगे हुए थे। अरब के इन काफ़िर सरदारों को एक ख़तरनाक मज़ाक़ सूझा। रसूल[स०] की तरफ़ इशारा करके कहा कि ये सामने जो शख़्स अपने तरीक़े से इबादत कर रहा है उसकी अबूजहल से बहुत दोस्ती है, अगर ये सिफ़ारिश कर देगा तो तुम्हारी रक़म मिल जाएगी, दो ही सूरतें हो सकती थीं या तो रसूलुल्लाह[स०] अबूजहल की दुश्मनी की वजह से मदद से इनकार कर देते तो उन्हें कहने का मौक़ा मिलता कि मज़लूमों के बड़े हमदर्द बनते हैं मगर मदद नहीं की

और अगर मदद के लिए जाएंगे तो सिर्फ़ बेइज़्ज़ती हाथ लगेगी। दोनों तरह मज़ाक़ उड़ाने का मौक़ा मिलेगा। रसूलुल्लाह[स॰] ने उस मज़लूम की फ़रियाद सुनी, ये नहीं पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ा है या नहीं। फौरन इबादत छोड़कर उसके साथ चल दिये अरब के सरदारों ने पीछे-पीदे अपना एक जासूस भेज दिया, रसूलुल्लाह[स॰] ने अबूजहल का दरवाज़ा खटखटाया। उसने पूछा कौन है? फ़रमाया, मुहम्मद[स॰] हूँ। इतिहास कहता है दौड़ता हुआ आया दरवाज़ा खोला, अबूजहल के चेहरे का रंग उड़ा था। ऐ मुहम्मद[स॰] क्या बात है क्यों आए हो? फ़रमाया, फ़ौरन इसके ऊँट की क़ीमत अदा करो। कहा, इतनी इजाज़त दो कि घर के अंदर से ले आऊँ। दौड़ता हुआ गया पूरी क़ीमत लाकर दी। ऐ मुहम्मद[स॰] और कोई हुक्म हो तो बताओ। फ़रमाया, आइन्दा कोई ऐसी हरकत न करना। क़बीले औस का वह शख़्स खुशी-खुशी मक्का के सरदारों के पास पहुँचा और शुक्रिया अदा किया कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही आदमी को भेजा था। मेरी रक़म फ़ौरन मिल गई। उनकी हैरत की इन्तेहा न रही। जिसको जासूसी के लिए भेजा था। उस से पूछा कि तुम वाक़िआ बताओ। जासूस ने कहा, वह जिसे मैं सोच भी नहीं सकता था, मुसलमानों के रसूल[स॰] ने जैसे ही अबूजहल को आवाज़ दी वह दौड़ा हुआ निकल आया इस तरह से कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जो मुहम्मद[स॰] कहते जाते थे वह करता जाता था। सरदारों ने देखा सामने से अबूजहल चला आ रहा है। मक्का के सरदार झल्लाकर बोले, तुझे मौत आ जाए तुझे हुआ क्या था? अबूजहल बोला मैं खुद नहीं बता सकता कि मुझे क्या हो गया था। मुहम्मद[स॰] की आवाज़ सुनते ही ऐसा लगा मेरी जान निकल जाएगी। बस जैसा वह कहते गए मैं करता गया। इस वाक़िए की ख़ास बात ये है कि अबूजहल रसूले इस्लाम[स॰] की रूहानी ताक़त से इतना घबरा गया कि अगर फ़रमाते कि कलमा पढ़ लो तो पढ़ लेता, मगर मज़लूम की मदद के लिए तो ताक़त का इस्तेमाल हुआ वह रूहानी ही सही मगर कलमा पढ़वाने के लिए नहीं, क्योंकि इस्लाम सख़्तीसे इस नज़रिये पर क़ायम था कि ''दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं''। अल्लाह के रसूल[स॰] ने मिसाल बना दी कि देखो मज़लूम और सताए हुए की मदद करो चाहे वह काफ़िर ही क्यों न हो, हमारे कुछ मुसलमान बादशाह भी काफ़िरों की मदद फ़रमाते हैं, मगर मज़लूमों की नहीं, बल्कि ज़ालिमों की वह भी मुसलमानों पर ही ज़ुल्म ढाने के लिए।

(जारी)

शेष....... उसूले दीन

हदीसों (रसूल का कथन हदीस कहलाता है) में यह भी बताया कि मेरे बारह ख़लीफ़ा होंगे। इन बारह के नाम कुछ ख़ास सहाबियों (साथियों) से खुद आपने भी बताए और इनमें से हर एक इमाम (ख़लीफ़ा) भी अपने बाद के इमाम का नाम स्पष्ट रूप से बताता रहा। इस प्रकार रसूल के बाद इस इलाही हुकूमत (ऐश्वरीय शासन) के शासक नियुक्त होते रहे जिसकी नींव रसूल के द्वारा डाली गई थी।

सांसारिक ख़लीफ़ा

हज़रत रसूलुल्लाह के देहान्त के बाद मुसलमानों ने राजनैतिक अभिप्रायों के लोभ में इलाही हुकूमत के विरूद्ध अपने लिए शासक चुन लिए। चूँकि ये 'कारवाई' इस्लामी क़ानून के विरूद्ध थी इसलिए पैग़म्बर के कुटुम्ब वालों और कुछ धर्म के पक्के सहाबियों (पैग़म्बर के साथियों) ने इन ख़लीफ़ाओं के शासन को स्वीकार नहीं किया और इस्लाम के सच्चे मानने वालों ने आज तक उन हुकूमतों को स्वीकार नहीं किया है।

(जारी)

मुख्य समाचार

शाम में हुकूमत मुख़ालिफ़ मुज़ाहरे जारी

शाम की हुकूमत ने जुनूबी शहर दरआ में इज्तेमाओ क़ब्र की मौजूदगी की इत्तेलाआत की तरदीद कर दी है। जबकि हुकूमत मुख़ालिफ़ मुज़ाहरे जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ दमिश्क़ में शाम की वज़ारते दाख़िला ने कहा कि ये ख़बरें बिलकुल बेबुनियाद हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ इश्तेआल अंगेज़ी पैदा करने की मुहिम का हिस्सा हैं। दरआ के शहरियों ने बरतानवी ख़बर रसाँ एजेन्सी को बताया कि हालिया फ़सादात के बाद दरआ के क़रीब एक गाँव के लोगों ने एक क़ब्र से बच्चों और एक औरत की लाश समेत तेरह लाशें निकाली हैं। ख़बरों के मुताबिक़ मज़कूरा क़ब्र एक खेत में मिली थी जिसमें एक 62 साला शख़्स, उसके चार बच्चों और एक औरत की लाश थी। शाम में सबसे पहले हुकूमत मुख़ालिफ़ मुज़ाहरे मार्च में दरआ में शुरु हुए थे। इस दौरान शाम में हुकूमत मुख़ालिफ़ मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। लोग रात को भी सड़कों पर निकल आए। शाम में सदर बशारुल असद के ख़िलाफ़ अवाम का ग़मो गुस्सा ठण्डा नहीं हुआ और सैकड़ों लोग अब भी मुख़्तलिफ़ शहरों में सरापा एहतेजाज हैं। इण्टरनेट पर जारी होने वाली एक वीडियो में सैकड़ों अफ़राद रात के वक़्त दमिश्क़ की गलियों में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों में मसरूफ़ हैं। सेक्योरिटी फ़ोर्सेज़ की फ़ायरिंग से हलाक होने वाले नौजवान की नमाज़े जनाज़ा में सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की और बाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ूब नारेबाज़ी की। इधर अमरीकी वज़ीरे ख़ारजा हिलेरी किलण्टन का कहना है कि मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ बदतरीन क्रीक डाउन करने पर शाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाले कुछ रोज़ में सख़्त इक़दामात किये जाएंगे जबकि फ्रांस का कहना है कि सलामती कोंसिल में शाम की हुकूमत के मुज़ाहरीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ क़रारदाद लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं।

बहरैन में अवाम के ख़ून की होली

पैटरिक काक बर्न (Patrick Cockburn) ने रोज़नामा इंडिपेन्डेंट में शाया होने वाली रिपोर्ट में अवाम के ख़िलाफ़ बहरैनी हुकूमत के जराएम की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा हैः आले ख़लीफ़ा ने एतेराज़ करने वालों को कुचलने के लिए अवाम के ख़ून की होली खेली है। अबना की रिपोर्ट के मुताबिक़ उन्होंने लिखा है कि बहरैनी हुकूमत ने अपने अवाम के ख़िलाफ़ जंग शुरु कर रखी है और वह बहरैनियों को ख़ून की नदियों में डुबो देना चाहती है, इस हुकूमत ने अवाम को कुचलने के लिए आज़ार व अज़ियत, और क़त्ल व ग़ारतगरी जैसी तशद्दुद आमेज़ रविशों का सहारा लिया है और उसने नक़ाबपोश गुमाश्ते सड़कों पर तैनात करके अवाम को ख़ौफ़ज़दा करने का सिलसिला जारी कर रखा है। पैटरिक ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा हैः आले ख़लीफ़ा हुकूमत अवाम के दरमियान फ़िरक़ावाराना तफ़रक़ा डालने की अपनी कोशिशों को भी ख़ुफ़िया रखने की ज़रूरत महसूस नहीं करती और एलानिया तौर पर फ़िरक़ा वारियत फैलाने की कोशिश कर रही है यहाँ तक कि तारीख़ी हैसियत रखने वाली मस्जिदों और इमामबाड़ों का इन्हेदाम आले ख़लीफ़ा की इस पॉलीसी का हिस्सा है। उन्होंने अमरीका की पुरअसरार ख़ामोशी में आले ख़लीफ़ा के हाथों इंसानी हुक़ूक़ की पामाली और मुख़ालिफ़ीन की सरकोबी जैसे जारिहाना इक़दामात की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा हैः आले ख़लीफ़ा हुकूमत नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और डाक्टरों को ज़ख़्मियों को तिब्बी इमदाद फ़राहम करने की पादाश में ज़दोकोब करती है उन्हें गिरफ़्तार करती है, असातेज़ा और जामेआत और स्कूलों के तलबा को गिरफ़्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाती है, मज़दूरों और सरकारी मुलाज़िमों को बरख़ास्त करती है। उसने मुल्क के बाहर तालीम हासिल करने वाले तलबा का वज़ीफ़ा तक ख़त्म कर लिया है उन्होंने मज़ीद लिखा हैः आले ख़लीफ़ा के ज़ालिमाना इक़दामात से उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा बल्कि अवाम शिद्दत के साथ इस हुकूमत से नफ़रत करती है क्योकि इस हुकूमत ने बहरैन के अकसरियती अवाम के ख़िलाफ़ एलाने जंग कर रखा है।

इस्राईली हुकूमत ख़त्म होने वाली है: सै० हसन नसरुल्लाह

हिज़्बुल्लाहे लेबनान के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम सै० हसन नसरुल्लाह मद्दज़िल्लहू ने यौमे नकबत व मुसीबत के दिन सामने आने वाले हवादिस की जानिब इशारा करते हुए अपने पैग़ाम में कहा कि इस्राईल की ग़ासिब हुकूमत ख़त्म होने वाली है फिलिस्तीनियों की वतन वापसी यक़ीनी है। मेहर ख़बर रसाँ एजेंसी ने अन-नश्रह साइट के हवाले से नक़ल किया है कि हिज़्बुल्लाहे लेबनान के सरबराह सै० हसन नसरुल्लाह ने यौमे नकबत व मुसीबत के हवादिस की तरफ़ इशारा करते हुए अपने पैग़ाम में कहा कि इस्राईली ग़ासिब हुकूमत ख़त्म होने वाली है और फिलिस्तीनियों की वापसी यक़ीनी है।

मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस में झड़पें जारी, ईसविया में कई गिरफ़्तारियाँ

अल-क़ुद्स में फ़िलिस्तीनी नौजवानों की इस्राईली फ़ौज के साथ झड़पें जारी हैं झड़पों में उस वक़्त शिद्दत आ गई जब ईसविया गाँव के छः फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। इबरानी मीडिया के मुताबिक़ फ़िलिस्तीनी नौजवानों ने इस्राईली फ़ौज पर पथराव कर दिया इसी दौरान फ़ज़ा में गर्दिश करते इस्राईली फ़ौजी हेलीकाप्टर की मदद से सहयूनी फ़ौज ने उन नौजवानों में से छः को गिरफ़्तार कर लिया। इस्राईली फ़ौज ने अल-क़ुद्स में हालात को कन्ट्रोल में रखने के लिए बड़े पैमाने पर सेक्योरिटी इंतेज़ामात कर रखे हैं। शहर की मुख़्तलिफ़ कालोनियों और शाहराहों पर ख़ुसूसी चेक पोस्टें क़ायम की गई हैं। शहर की ओल्ड म्युनिसपल्टी में इस्राईली पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद गश्त कर रही है जबकि फ़ज़ा में फ़ौजी हेलीकाप्टर किसी भी कशीदा सूरते हाल की निगरानी के लिए मौजूद हैं। ख़याल रहे कि फ़िलिस्तीनी अवाम 17 मई 2011ई० को "नकबा" के 63वीं बरसी मना रहे हैं। 1948ई० में इस्राईल के क़याम की वजह से लाखों फ़िलिस्तीनियों को अपने घरबार छोड़ने पड़े थे। इस साल अरब दुनिया में चलने वाली मुख़्तलिफ़ तहरीकों से फ़िलिस्तीनी एहतेजाज मज़ीद शदीद हो गया है। मग़रिबी किनारे के ज़िला रामुल्ला में भी इस्राईली फ़ौज के साथ झड़प में शदीद झड़पों में फ़िलिस्तीनियों के बड़े जानी नुक़सान की ख़बरें हैं, इध ार ग़ज़्ज़ा के एहतेजाजी जुलूस में से एक बड़े जुलूस पर इस्राईली फ़ायरिंग से कम से कम पैंतालीस अफ़राद ज़ख़्मी हो चुके हैं। ये एहतेजाजी सिलसिला सिर्फ़ फ़िलिस्तीन तक ही महदूद नहीं बल्कि मुख़्तलिफ़ अरब मुमालिक में फ़िलिस्तीनियों के साथ इज़्हारे यकजहती में बड़ी रैलियाँ और मुज़ाहरों का एहतेमाम किया गया है। लेबनान में मुज़ाहरीन ने फ़िलिस्तीनी सरहद पर एहतेजाजी मुज़ाहरा किया जिस पर इस्राईली टैंकों ने लेबनानी मुज़ाहिरीन पर फ़ायरिंग करके चार अफ़राद को शहीद कर दिया है। दूसरी तरफ़ शाम के इलाक़े गौलान में भी बड़ा मुज़ाहरा किया गया, जिस पर इस्राईली फ़ौज ने हमला करके कुछ अफ़राद को ज़ख़्मी कर दिया, ज़राए के मुताबिक़ शामी गौलान से फ़िलिस्तीन में दाख़िल होने की कोशिश करने वाले चार मुज़ाहरीन और भी इस्राईली फ़ायरिंग से शहीद हो गए हैं।

अहलेबैत आलमी कौंसिल ने बहरैनी हुकूमत के जराएम की मज़म्मत की

अहलेबैत आलमी कौंसिल ने एक बयान में बहरैनी हुकूमत की जराएम की मज़म्मत की है। अल-आलम की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस बयान में कहा गया है कि बहरैन की हुकूमत ने उलमाए दीन, सियासी रहनुमाओं और इंक़ेलाबी नौजवानों को गिरफ़्तार करके अपनी इस्लाम दुश्मनी और आमिराना माहियत आशकार कर दी है।

अहलेबैत आलमी कौंसिल के बयान में उन इंसानियत मुख़ालिफ़ इक़दामात की मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि तमाम सियासी क़ैदियों ख़ासकर उलमा और इंक़ेलाबी रहनुमाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी बहरैनी हुकूमत और जारेह सऊदी फ़ौजियों पर आएद होती है। अहलेबैत आलमी कौंसिल ने तमाम इंसानी हुक़ूक़ तंज़ीमों ख़ासकर अक़वामे मुत्तहेदा, सलामती कौंसिल और इस्लामी कान्फ्रेंस से मुतालबा किया है कि जल्दी से जल्दी मोअस्सर इक़दामात करके आले ख़लीफ़ा और आले सऊद के इंसानियतसोज़ जराएम की रोकथाम करें ताकि मज़लूम मिल्लते बहरैन के मुतालबात पूरे हो सकें।

फ़िलिस्तीनियों का इत्तेहाद, इस्राईल की बर्बादी का पेशख़ेमा: इस्माईल हानिया

फ़िलिस्तीनी वज़ीरे आज़म इस्माईल हानिया का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों के यौमे नुकबा (अज़ीम तबाही का दिन) के मौक़े पर इस्राईली ख़ूँरेज़ कारवाईयों से साबित हो गया है कि इस साल नकबा की याद में फ़िलिस्तीनी क़ौम नकबा को हमेशा के लिए दफ़्न करने के लिए उठ खड़ी हुई है। 63 साल पहले 15 मई के दिन फ़िलिस्तीन पर इस्राईली नाजाएज़ रियासत के क़याम के मौक़े पर, सात लाख पच्चीस हज़ार फ़िलिस्तीनियों को अपना घरबार छोड़कर दीगर मुमालिक में हिजरत करना पड़ी थी। वज़ीरे आज़म इस्माईल हानिया ने उस तक़रीब, जिसमें ग़ज़्ज़ा की फ़िशेज़ में मछेरों को समुन्द्री कश्तियाँ तक़सीम की जा रही थीं, से ख़िताब करते हुए कहा कि अनक़रीब गुज़श्ता रोज़ की इस्राईली जारहियत के ख़िलाफ़ इंसानों का समुन्द्री तूफ़ान सड़कों पर होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ग़ज़्ज़ा का चार साल से मुहासरा जारी है लेकिन नकबा की याद में इस्राईली रियासत को चारों जानिब से घेर लिया गया था। हानिया ने यौमे नकबा की याद में फ़िलिस्तीनी क़ौम के मुत्तहिद होने की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इस मुफ़ाहमती मुआहदे की तमाम शिक़ों पर अमल करने के लिए क़ौमी वहदत को जमाअती मफ़ादात पर ग़ालिब आना चाहिए। ग़ज़्ज़ा की हुकूमत के वज़ीरे आज़म इस्माईल हानिया ने कहा कि ग़ज़्ज़ा की मआशी नाकाबन्दी आख़िरी दम पर है इसी तरह इस्राईली रियासत को मक़बूज़ा फ़िलिस्तीन पर तसल्लुत भी ख़त्म करना होगा।